

की
सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

1

2

3

न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी, छतरपुर, पलामू।

विविध वाद सं०- 46 / सन् 2012- 13

ओदरा

धारा 145 दं० प्र० सं०

अवधेश पासवान वगैरह प्रथम पक्ष

बनाम्

दीपु यादव वगैरह द्वितीय पक्ष

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्ष लगभग विगत तीन वर्षों से लगातार न्यायालय में अनुपस्थित हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि वाद भूमि को लेकर उभय पक्ष के बीच वर्तमान में अब कोई विवाद नहीं रह गया है और ना ही किसी पक्ष के द्वारा विवाद होने की सूचना न्यायालय में दी गई है। यदि भविष्य में प्रश्नगत भूमि को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होती है तो पक्षकार Fresh Application दाखिल कर सकते हैं। इस आशय के साथ ही इस वाद की अग्रेतर कार्रवाई स्थगित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
छतरपुर, पलामू।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
छतरपुर, पलामू।

24-01-2023